<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>9.07.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्यामलाल अखंड द्वारा ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08.07.2025 को 50.80 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

कुर्क की गई संपत्तियों में ग्राम नलवा, जिला उज्जैन स्थित एक कृषि भूमि शामिल है, जो उनकी पत्नी और पुत्र के नाम पर संयुक्त रूप से है तथा एमराल्ड सिटी, ग्राम जख्या, तहसील सांवेर, जिला इंदौर स्थित एक आवासीय भूखंड शामिल है, जो उक्त अधिकारी के नाम पर पंजीकृत है।

श्यामलाल अखंड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, 2009 से 2019 तक की जांच अवधि के दौरान अपनी ज्ञात वैध आय से कहीं अधिक अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। जाँच से पता चला कि वह रिश्वत मांगने और लेने सहित भ्रष्ट आचरण में लिप्त था और उसने अपराध की आय का उपयोग अपने नाम पर और अपनी पत्नी और बेटे के नाम पर अचल संपत्तियाँ अर्जित करने के लिए किया। धन के स्रोत की व्याख्या करते हुए, अखंड ने अपने वेतन, किराये की आय, कृषि आय और अपनी पत्नी के कढ़ाई और सिलाई व्यवसाय से आय का दावा किया। हालाँकि, वह अपनी पत्नी की कथित व्यावसायिक गतिविधियों के अस्तित्व या आय को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ी सबूत पेश करने में विफल रहे। इसके अतिरिक्त, परिवार के कई बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा पाई गई।

ईडी ने श्यामलाल अखंड के खिलाफ सीबीआई और एसीबी, भोपाल द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है - एक रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए, और दूसरी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के लिए।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।